

03



शा. निगरानी सीधी/भू-रा/2017/2180
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :-/III/2017 निगरानी

श्री. आशिष क. शर्मा व को. 2-
द्वारा आज दि. 12-7-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ को. 2-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1- जवाहर लाल तिवारी
- 2- रमाकान्त तिवारी पुत्रगण रामनिहोर
तिवारी निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर
तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मध्य
प्रदेश -प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमती जान्हवी द्विवेदी पत्नी संतोष
कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम गड़हरा
तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मध्य
प्रदेश -प्रतिप्रार्थिनी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश
भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
10/07/2017 न्यायालय तहसीलदार रामपुर नैकिन जिला
सीधी मध्य प्रदेश प्रकरण क्रमांक 228/अ-74/2016-17
श्रीमती जान्हवी बनाम जवाहर आदि।

महोदय,


आवेदकगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार
प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त विवरण :-

- 1- यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण के
पिता स्व. श्री रामनिहोर तिवारी थे पिता रामनिहोर तिवारी का
स्वर्गवास दिनांक 27/06/1994 को हो गया। आवेदकगण के
पिता ने अपने जीवन काल में विवादित भूमि स्थित ग्राम मझगंवा

Abhishek
12-7-17
(2017) के को. 2-7-17

III / 10/22/10 / 2.1 / 2017 / 2180



13-11-17

आपके अति. श्री. अशोक आर्य को
उपरोक्त निवेदन किमा कि वे सकल
को अगे नही चलना चाहते।

आपके अति. अशोक का निवेदन लीकार
किमा जाता है तथा सकल नोट प्रेस में समाप्त
किमा जाता है।

sent Press
Mated
202

सिद्ध